राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 147/2020 GCMS No. 2020/239

विनोद कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 36 साल जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........वादी

बनाम

1. सुमेर सिंह
2. अमर सिंह पुत्रान खेमचन्द जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. अभय सिंह पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. आशीष कुमार पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. अमला देवी पत्नी अभय सिंह
6. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर
7. किशोरी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. किरण देवी पत्नी सुरेश जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. दिलबाग पुत्र जगमाल
10. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामसिंह
11. बिरमा देवी पत्नी रामसिंह
12. मेवा पत्नी जगमाल
13. रामनिवास पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. लाली देवी पत्नी रामसिंह
15. नरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
16. सरोज देवी पुत्री रामसिंह पत्नी साधुराम जाति अहीर हाल निवासी आकोदा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
17. मुकेश पुत्र रामसिंह पत्नी रविन्द्र जाति अहीर निवासी लावण तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
18. मुनेश पुत्री रामसिंह पत्नी सत्यप्रकाश जाति अहीर हाल निवासी ढवानी तहसील बहरोड़ जिला अलवर, राज0
19. सुरत सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

20. सुरेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. सुशीला पत्नी भूपसिंह जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. शाखा प्रबंधक बुहाना बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. स्टेट बैंक शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. उप पंजियक, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– दिनांक :–7/2/23

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2054–2057 के खाता सं. 740 के ख.नं. 112 रकबा 2.37 है., ख.नं. 142 रकबा 0.95 है., ख.नं 146 रकबा 1.07 है., ख.नं. 147 रकबा 3.39 है. कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. में खातेदार शिम्भुराम, सुमेर सिंह, अमर सिंह पिता खेमचन्द का 2/3 दर हिस्सा 0.94 है. भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 व खातेदार शिम्भुराम पुत्र खेमचन्द तथा खातेदार शिम्भुराम पुत्र खेमचन्द नाऔलाद फौत हो चुका है जिनके हिस्से की भूमि अब दोनों भाईयों में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में बराबर–बराबर विभाजित हो चुकी है जो दिनांक 19.07.2001 को वादी के हक में एक विक्रय पत्र तस्दीक करवा कर जिनमें खातेदार शिम्भुराम व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से में से 0.50 है. भूमि जरिये विक्रय पत्र से तस्दीक करवा दिया तथा वादी को मौके पर कब्जे काश्त करवा दिया था। वादी ने दिनांक 19.07.2001 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन से ही अपने 0.50 है. भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त है तथा अपनी खरीद शुदा भूमि का नामांतरकरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का को नकल भी दी थी परन्तु पटवारी ने उसे दर्ज नहीं किया। उक्त भूमि को खरीदे लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं बिना न्यायालय आदेश के नामांतरकरण दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी की खरीद शुदा भूमि का बेचान कर देते हैं तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसके विपरीत वादी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया मामला है तथा उक्त वाद पत्र में सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अपने खरीद शुदा हिस्से यानि 0.50 है. भूमि तक पाबंद करवाया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 इसे बेचान, रहन, दान आदि ना करें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें। इसलिए वादी को यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद पत्र के खातेदार शिम्भुराम पुत्र खेमचन्द नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान प्रतिवादी सं. 1 व 2 है जिन्होंने खातेदार शिम्भुराम की भूमि 1/2 हिस्से में बराबर विभाजन कर लिया है परन्तु वर्तमान रिकार्ड में शिम्भुराम 23/778 हिस्सा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम गोपालपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 के खाता सं. 740 के ख.नं. 112 रकबा 2.37 है., ख.नं. 142 रकबा 0.95 है., ख.नं. 146 रकबा 1.07 है., ख.नं. 147 रकबा 3.39 है. कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. भूमि खातेदार शिम्भुराम पुत्र खेमचन्द व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के 69/778 हिस्सा भूमि में से 0.50 है. कम की जाकर उक्त भूमि में वादी को विक्रय पत्र के अनुसार 0.50 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पाबंद किया जोव कि वाके ग्राम गोपालपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 के खाता सं. 740 के ख.नं. 112 रकबा 2.37 है., ख.नं. 142 रकबा 0.95 है., ख.नं. 146 रकबा 1.07 है., ख.नं. 147 रकबा 3.39 है. कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. भूमि में उनके 69/778 हिस्से में से वादी के खरीद शुदा भूमि 0.50 है. भूमि तक रहन, दान, बेचान व कब्जे काश्त में दखलंदाजी के लिए पाबंद करें। तथा प्रतिवादी सं. 24 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा वादी की खरीद शुदा भूमि रहन, दान, बेचान का दस्तावेज तस्दीक ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

प्रतिवादीगण सं. 3 से 25 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2054–2057 खाता सं. 740 (प्रदर्श–1), संवत् 2058–61 खाता सं. 11 (प्रदर्श–3), संवत् 2062–65 खाता सं. 7 (प्रदर्श–4), संवत् 2066–69 खाता सं. 7 (प्रदर्श–5), संवत् 2075–78 खाता सं. 37 (प्रदर्श–6), फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2001 (प्रदर्श–2ए) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र विनोद कुमार का भी पेश किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 112, 142, 146, 147 कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. में से प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार शिभुराम पुत्र खेमचन्द ने अपने हिस्से में से हिस्सा 0.50 है. भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2001 के वादी के हक में बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र से अवलोकन से स्पष्ट साबित है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार शिभुराम पुत्र खेमचन्द के हिस्से में से 0.50 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने इकबाली जवाब दावा से भी वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 37 में दर्ज खसरा नंबर 112, 142, 146, 147 कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. में प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार शिभुराम पुत्र खेमचन्द के हिस्से में से 0.50 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त 0.50 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

शिभुराम पुत्र खेमचन्द की खातेदारी से कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 147/2020 जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00239
निर्णय दिनांक :– 7/2/23

विनोद कुमार **बनाम** सुमेरसिंह आदि
दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी संख्या 1 2 **श्री मनु यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7/2/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" **अतः वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 37 में दर्ज खसरा नंबर 112, 142, 146, 147 कुल किता 4 कुल रकबा 7.78 है. में प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार शिभुराम पुत्र खेमचन्द के हिस्से में से 0.50 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त 0.50 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार शिभुराम पुत्र खेमचन्द की खातेदारी से कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे।** "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 7/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested